संख्या-23/2026/1184/96-आयुष-1-2026-ई0पत्रा0-2029464

प्रेषक,

रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2026**

विषय:- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के अंतर्गत पं0 सत्यनारायण शास्त्री पुरूष छात्रावास के नवीनीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41/502/का0नि0/2026-27/योजना दिनांक 28.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के अंतर्गत पं0 सत्यनारायण शास्त्री पुरूष छात्रावास के नवीनीकरण हेतु धनराशि रू0-362.05 लाख (रूपया तीन करोड़ बासठ लाख पांच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च 2026 तथा संगत शासनादेशों/नियमों में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। निदेशक, आयुर्वेद सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में अवमुक्त धनराशि को आवंटित/व्यय किया जायेगा।

(3) बजट आवंटन में विभागाध्यक्ष /नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की आहरण वितरण अधिकारी कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने ही पर करें विभागाध्यक्ष के स्तर पर एकमुश्त धनराशि के आहरण से बचा जाय।

(4) जिस कार्य/मद हेतु उपरोक्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, संबंधित प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, संबंधित प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो। इस हेतु नियमानुसार वास्तवित धनराशि देय होगी।

(10) प्रयोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराइटरी श्रेणी का है एवं इनके शेड्यूल ऑफ़ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक माइल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अतः आयुष कॉलेज के प्राचार्य एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमो के आधार पर की जाएगी।

(11) आगणन में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, संबंधित प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु वित (आय-व्ययक) अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम -04/2017, दिनांक 21.06.2017 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) परियोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद, संबंधित प्राचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) अवमुक्त धनराशि का आवंटन/आहरण/व्यय वित्त ,नियोजन एवं लोकनिर्माण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(15) प्रायोजना अन्तर्गत संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0टेण्डर/ई प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट ई मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) निदेशक आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0, संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ किसी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की गुणवत्ता रिपोर्ट के उपरांत ही अगली किश्त निर्गत की जाएगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 033 लेखा शीर्षक 4210018000500 आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रंजन कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-23/2026/1184(1)/96-आयुष-1-2026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(6) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बजरंगी मौर्या
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।